इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक

Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak

(A Central University established by an Act of Parliament)

Ref.no./IGNTU/DSW/ 02 Date - 04-04-2022

सूचना

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विभाग) बिलासपुर (छ.ग.) से प्राप्त पत्र के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य के विद्यार्थियों को नवीन गाइडलाइन के संबंध में सूचित किया जाता है कि अनुसूचित जाति,जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु नवीन पोर्टल का निर्माण एन.आई.सी. रायपुर द्वारा तैयार किया गया है।

अत:विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छतीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति,जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृति हेतु ऑनलाइन आवेदन नवीन पोर्टल https://postmatric-scholarship.cg.nic.in में करना होगा।

विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन की हार्ड कॉपी संबन्धित जिले के कार्यालय,सहायक आयुक्त आदिवासी विकास (छ.ग.) में अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करें।

ऑनलाइन आवेदन के दौरान निम्नानुसार आवश्यक सावधानियों का पालन करने हेतु विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है।

1. आधारकार्ड का नंबर एवं स्वयं के नाम कि वर्तनी (स्पेलिंग) पोर्टल में सही-सही भरें।
2. जन्म तिथि, आधार कार्ड के अनुसार ही भरें।
3. बैंक खाता छ०ग० में ही संचालित होना चाहिए एवं उसी बैंक खाता का पंजीयन पोर्टल पर करें।
4. पाठ्यक्रम/विषय एवं वर्ष की सही जानकारी पोर्टल पर भरें।
5. आय,जाति एवं निवास प्रमाणं पत्र छ०ग० राज्य का ही होना चाहिए।ऐसे विद्यार्थी जिनका उक्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन तैयार है,कृपया ऑनलाइन से प्राप्त नंबर को पोर्टल में भर कर सत्यापन करावें।
6. विगत वर्ष के परीक्षा परिणाम का प्रतिशत सही-सही भरें।
7. वर्ग(अनुसूचित जाति,जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) को पोर्टल पर सावधानी पूर्वक भरें। वर्ग गलत भरने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
8. अध्ययनरत संस्था का विवरण(नाम,AISHECODE-पता) तथा छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी का नाम,मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आई डी ध्यानपूर्वक भरें।

ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रविष्ट करने पर किसी प्रकार की कठिनाई/परेशानी के निवारण हेतु मोबाइल नंबर 7693096545 पर संपर्क कर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

नोट:- विद्यार्थी छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी सभी दस्तावेजों को नस्तीबद्ध एवं विभागाध्यक्ष से प्रमाणित कराकर छात्रवृत्ति कार्यालय में समय से प्रस्तुत करें।

(निरंतर)

नोट:- क्रम संख्या 08 से संबन्धित आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है।

A. Institute code Type – AISHE
B. AISHE/NCVT/SCVT – AISHE
C. AISHE Code – U-0290
D. Name of Nodal Officer – Prof. Bhuminath Tripathi
E. Mo. No. Of Nodal Officer – 9589517179
F. E-mail of Nodal Officer – dsw@igntu.ac.in
G. Institute Land line No. – 07629-269701
H. Institute E-mail ID – scholarship@igntu.ac.in
I. Designation of Nodal Officer – Nodal officer scholarship

प्रतिलिपि:-

1.समस्त संकायों के संकायाध्यक्ष।
2.समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष।
3.मुख्य अधीक्षक छात्रावास।
4.तंत्र विश्लेषक(System analyst)। (To Display on University Website)
5. निज सहायक कुलसचिव कार्यालय।

7/4/2020

अधिष्ठाता छात्र कल्याण
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय
विश्वविद्यालय अमरकंटक (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) बिलासपुर (छ0ग0)

Phone No. - 07752 411257, Fax No. 225545, E-mail pmsbilaspur@gmail.com

क्रमांक / पो0मै0छा0 / 2021–22 3721 / बिलासपुर दिनांक 15/03/2022

प्रति,

कुलपति / अधिष्ठाता / प्राचार्य

....

....

विषय :– वर्ष 2021–22 से राज्य के बाहर अध्ययनरत विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन किये जाने बाबत्।

संदर्भ :– आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छ0ग0 रायपुर का पत्र क्रमांक / ऑ.ला.पो.मै.छा. / 123 / 2021–22 / 11272 दिनांक 14.03.2022.

––000––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि विभाग द्वारा राज्य से बाहर अध्ययनरत विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति भुगतान जिलों से प्रस्ताव (ऑफलाईन) मंगाया जाकर किया जाता रहा है। भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु वर्ष 2020–21 से वर्ष 2025–26 तक नवीन गाईड लाईन प्रेषित किया गया है।

संदर्भित पत्र द्वारा नवीन गाईड लाईन अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु नवीन पोर्टल का निर्माण एन.आई.सी.रायपुर द्वारा तैयार किया गया है। अतः आपके संस्था में अध्ययनरत अनुसूचित जाति,जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2021–22 से नवीन पोर्टल **https://postmatric-scholarship.cg.nic.in** पर आवेदन करने हेतु निर्देशित करें।

ऑनलाईन आवेदन के दौरान निम्नानुसार सावधानियां बरतने हेतु विद्यार्थियों को निर्देशित करें :–

1. आधारकार्ड का नंबर एवं नाम (स्पेलिंग) सही–सही भरे।
2. जन्म तिथि आधार कार्ड अनुसार भरें।
3. बैंक खाते का विवरण छ0ग0 में ही संचालित होना चाहिए एवं उसी बैंक खाता को पोर्टल पर पंजीयन करें।
4. पाठ्यक्रम / विषय एवं वर्ष का सही–सही पोर्टल पर इन्द्राज करें।
5. आय–जाति एवं निवास छ0ग0 का ही होना चाहिए। जिन विद्यार्थियों का उक्त प्रमाण पत्र ऑनलाईन तैयार है, कृपया ऑन लाईन से प्राप्त नंबर को पोर्टल में डालकर सत्यापन करावें।
6. विगत वर्ष के परीक्षा परिणाम का प्रतिशत सही–सही डालें।
7. वर्ग (अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) को पोर्टल पर सावधानी पूर्वक भरें, वर्ग गलत इन्द्राज करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
8. अध्ययनरत संस्था का विवरण (नाम, AISHE CODE, पता) तथा छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर एवं ई–मेल आइडी ध्यानपूर्वक इन्द्राज करें। अगर किसी प्रकार से आवेदन पत्र ऑनलाईन प्रविष्ट करने पर परेशानी हो तो मोबाईल नंबर 7693096545 में संपर्क कर सहयोग प्राप्त कर सकते है।

विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात आवेदन की हार्डकॉपी इस कार्यालय में दिनांक 22.03.2022 तक अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव अप्राप्त होने की स्थिति में यदि विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित होता है तो संस्था प्रमुख इसका जिम्मेदार होगा।

15/3

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास बिलासपुर

19 No./4 th shakha/ Letter2017-18

भाग (ब)

(उस संस्था के प्रमुख द्वारा भरा जाये जहां आवेदक अध्ययन कर रहा हो)

(1) पाठ्यक्रम की अवधि जिसमें आवेदक अध्ययन कर रहा है ....

(2) (क) क्या आवेदक को शिक्षण शुल्क भुगतान करने के लिये छूट दी गई है? हां/नहीं...

(ख) यदि हां, तो यह बतायें कि पूरे शिक्षण शुल्क की छूट दी गई है या आधे शिक्षण शुल्क की। हां/नहीं...

आवेदक को चालू वर्ष में दिनांक ....से दिनांक .... के लिये व्यय इस संस्था को रूपये ....अनिवार्य फीस (छात्रावास का भाड़ा तथा अन्य प्रासंगिक व्ययों को छोड़) का भुगतान करना होगा, जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये है :–

आवेदक द्वारा देय वापिस न की जाने वाली समस्त अनिवार्य फीसों के ब्यौरे	दर से. (रूपये पैसे)	संस्था को आवेदक द्वारा प्रस्तुत देय राशि (रूपये पैसे)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
शिक्षण शुल्क			
परीक्षा फीस			
खेल–कूद फीस			
पुस्तकालय फीस			
चिकित्सा फीस			
	योग		

संस्था को आवेदक द्वारा देय वापस न की जाने वाली अन्य किसी अनिवार्य फीस का यहां उल्लेख किया जावे।

क्या छात्र/छात्रा छात्रावास में रहता है/रहती है? क्या वह ....

मुफ्त भोजन आवास/मुफ्त आवास/मुफ्त भोजन का हकदार है? ....

(1) प्रमाणित किया जाता है :–

(1) आवेदक द्वारा भाग (अ) में दी गई जानकारी जांची गई है...
एवं वह सही है। जानकारी की दुरूस्ती लाल स्याही से अंकित हैं।

(2) पाठ्यक्रम जिसमें आवेदक अध्ययन कर रहा है वह मैट्रिकोत्तर ....
पाठ्यक्रम है।

यह संस्था ....विश्वविद्यालय/मण्डल से संबद्ध है तथा भारत सरकार/राज्य शासन..द्वारा मान्यता प्राप्त है, आवेदक इस संस्था में ....पाठ्यक्रम में पढ़ रहा है जिसमें प्रवेश पाने के लिये न्यूनतम योग्यता ....पास है।

मैं वचन देता हूं कि अधिकारी द्वारा जब भी आवेदक की छात्रवृत्ति की रकम मुझे सौंपी जायेगी वह जिस निश्चित उद्देश्य के लिये होगी उसका भुगतान उसी प्रकार किया जाकर पूर्ण लेखा–जोखा अधिकारी को नियमित रूप से भेजता रहूंगा। यदि आवेदक/संस्था छोड़ दे या पढ़ाई चालू न रखे या कोई अन्य छात्रवृत्तियां/शिष्यवृत्ति स्वीकार कर ले तो यह तब तत्काल छात्रवृत्ति प्रदान करने वाले अधिकारी को सूचित किया जावेगा और आवेदक को छात्रवृत्ति का भुगतान भी बन्द कर दिया जावेगा। छात्रवृत्ति से संबंधित संस्था के पास बची अतिरिक्त राशि भी शासकीय लेखे में वापिस जमा कर दी जावेगी।

....

क्रमांक — संस्था के प्रमुख के हस्ताक्षर ....

स्थान — नाम स्पष्ट अक्षरों में ....

दिनांक — पदनाम ....

पता

जिला .... राज्य..................................

पिनकोड.............................

मोबाईल नम्बर एवं ईमेल आई.डी..

....

संस्था की मुहर